RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

महात्मा गॉधी का सत्याग्रहः एक अध्ययन

डॉ0 अखिलेश पाल

सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र विभाग ईश्वर शरण पीजी कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
महात्मा गॉधी, सत्याग्रह,सत्य और अहिंसा.

***Corresponding Author**
Email: akhilesh.mpissr[at]gmail.com

ABSTRACT
महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस कार्यपद्धति का प्रयोग किया, वह सत्याग्रह है। इसके नाम और मौलिक सिद्धान्तों का विकास दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उनका यह सिद्धान्त सत्य की अवधारणा पर आधारित है। सत्य के प्रबल समर्थक होने के नाते गांधी जी का मानना था कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सत्याग्रह का अर्थ है, सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सम्मुख सिर को न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना। यह आत्म बल द्वारा अत्याचारी के ह्रदय को परिवर्तित कर देने वाली प्रकिया है।

महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस कार्यपद्धति का प्रयोग किया, वह सत्याग्रह है। इसके नाम और मौलिक सिद्धान्तों का विकास दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उनका यह सिद्धान्त सत्य की अवधारणा पर आधारित है। सत्य के प्रबल समर्थक होने के नाते गांधी जी का मानना था कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सत्याग्रह का अर्थ है, सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सम्मुख सिर को न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना। यह आत्म बल द्वारा अत्याचारी के ह्रदय को परिवर्तित कर देने वाली प्रकिया है।

गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। इसे वहां पर निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया। लेकिन गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अलग–अलग है। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक साधनों पर आधारित तकनीक है। इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सत्य इसका आधार है। इसमें आत्मबल रूपी शस्त्र का ही प्रयोग किया जाता है। यह एक आदर्श है, कर्म योग का एक व्यावहारिक दर्शन है और एक क्रियाशील अवधारणा है।

दार्शनिक आधार (Philosophical Basis)

गांधी जी ने 'शक्तिशाली की विजय' के जैविक सिद्धान्त तथा हॉब्स के विचार–'प्रत्येक एक–दूसरे के सिरुद्ध संघर्षरत रहता है' का खण्डन किया है। गांधी जी मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य प्रारम्भ से ही अहिंसा प्रेमी रहा है। वह पारस्परिक सहायता व सहयोग में विश्वास करता है, वह वेद–शास्त्रों के मार्ग का अनुसरण करता है। कोई भी व्यक्ति या शासक कितना निर्दयी क्यों न हो, उसमें भी मनुष्यता, करुणा, परोपकार तथा दया की भावना अवश्य पाई जाती है। सत्याग्रह द्वारा अत्याचारी मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगाया जा सकता है। एक समय ऐसा आता है, जब अत्याचारी की आत्मा अवश्य जागृत होती है। बुराई को बुराई से कभी दूर नहीं किया जा सकता। प्रेम से ही अत्याचारी व अन्यायी पर काबू पाया जा सकता है। घृणा, घृणा को जन्म देती है। मानव के दुःखों का कारण घृणा है। असत्य का सामना सत्य से करके ही मानवता को सुख प्रदान किया जा सकता है। गांधी जी का यह द्विान्त इस बात में विश्वास करता है कि, ''हम सब एक–दूसरे के सदस्य हैं'' मनुष्य को ईश्वर के सभी व्यक्तियों की भलाई करनी चाहिए। सबकी भलाई में ही उसकी भलाई निहित है और उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को बुराई दूर करने के लिए अच्छाई का ही मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा, युद्ध, कुटिल राजनीति कभी भी शांति का साधन नहीं हो सकते। अहिंसा, प्यार और सत्य ही समस्याओं के समाधान के स्थाई उपाय हैं। यही सत्याग्रह के सिद्धान्त का सन्देश है और मानवता के सुख का आधार है।

'सत्याग्रह' शब्द की उत्पत्ति

'सत्याग्रह' शब्द की उत्पत्ति की कहानी रोचक है। सन् 1906 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका गाँधी जी का कार्य–क्षेत्र रहा। तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के द्वारा रंग–भेद आधारित नीति के कारण अफ्रीका के मूल अश्वते निवासियों तथा वहाँ पर रहने वाले एशियाइओं पर अमानुषिक अत्याचार किये जाते थे। अतः इन लोगों ने वहाँ की गोरी सरकार के अत्याचारों के विरूद्ध संगठित होकर गाँधी जी के नेतृत्व में एक शान्तिपूर्ण विरोध आन्दोलन चलाया लेकिन गाँधी जी को इस आन्दोलन हेतु कोई उपयुक्त नाम नही सूझ रहा था। यह एक सक्रिय विरोध का आन्दोलन था। अतः वे इसे 'निष्क्रिय प्रतिरोध' के नाम सही नहीं पुकारना चाहते थे। उस समय इस आन्दोलन को 'निष्क्रिय प्रतिरोध' (Passive Resistance) का नाम दिया गया, किन्तु गॉधी जी को दो कारणों से यह

RRIJM 2015, All Rights Reserved

षब्द पसन्द नहीं था। पहला कारण तो इसका अंग्रेजी षब्द होना तथा भारतीयों को इसका पूरा अर्थ समझ में न आना था। दूसरा कारण यह था कि इसमें गॉधी जी द्वारा प्रतिपादित विचारों का पूरा समावेष नहीं होता था। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने अपने पत्र 'इंडियन ओपिनियन' में यह प्रचारित किया कि इसके लिए उपयुक्त नाम सुझाने वाले को पुरस्कार दिया जायेगा। फलस्वरूप बहुत–से सुझाव एवं नाम प्राप्त हुए। श्री मगन लाल गाँधी ने 'सदाग्रह' नाम सुझाया। गाँधी जी को यह नाम तो उचित लगा लेकिन वे फिर भी इससे पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हुए। अतः पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से उन्होंने इसमें संषोधन करके इसका नाम 'सत्याग्रह' कर दिया। इस तरह 'सत्याग्रह' शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे उन्होंने बाद में अपने नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलनों के लिए प्रयुक्त किया।

सत्याग्रह का अर्थ(Meaning of Satyagraha)

सत्याग्रह दो षब्दों सत्य और आग्रह से मिलकर बना है। इस षब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गयी है और इसके अनेक अर्थ बताये गये हैं यथा–सत्य के लिए आग्रह सत्य पर डटे रहना, सत्य से चिपटे रहना, सत्य की रक्षा के लिए अहिंसात्मक संघर्ष करना। सत्याग्रह का अर्थ है, सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सम्मुख सिर को न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना। यह आत्म बल द्वारा अत्याचारी के ह्रदय को परिवर्तित कर देने वाली प्रक्रिया है। यह असत्य का विरोध है व हर अवस्था में सत्य को पकड़े रहना है। हिंसा, भय और मृत्यु इसे विचलित नहीं कर सकते। यह सत्य के लिए एक तपस्या है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में इसे 'आत्मा का बल' भी कहा है। यह आत्मबल का शारीरिक बल अथवा पशुबल के साथ संघर्ष है। यह सभी प्रकार के अन्याय और शोषण के विरुद्ध आत्मा की शक्ति का प्रयोग है। इसका उद्देश्य विरोधी को दबाना नहीं है, बल्कि उसका ह्रदय परिवर्तन करना है। इस प्रकार सत्याग्रह विरोधी का ह्रदय परिवर्तन करने की कार्यवाही है। इसके लिए हिंसात्मक साधनों या किसी प्रकार के दबाव का प्रयोग वर्जित होता है।

इसमें सत्याग्रही स्वयं सहर्ष दुःख उठाता है लेकिन दूसरों को दुःख नहीं देता है। वह स्वयं असुविधाओं को भोगता है लेकिन दूसरे को असुविधा में नहीं डालता है। सत्य के लिए सत्याग्रही द्वारा स्वयं सहर्ष दुःख उठाने का नाम सत्याग्रह है। इसी आधार पर स्वयं गाँधीजी इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि "अपने विरोधियों को दुःखी बनाने की अपेक्षा स्वयं अपने पर दुःख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है।"

गांधी जी ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि, ''सत्याग्रह से अभिप्राय विरोधी को पीड़ा या कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट सहकर सत्य पर डटे रहना अथवा सत्य की रक्षा करना है।'' दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, ''सत्याग्रह रक्षा है, यह रक्षा विरोधियों को कष्ट देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट सहकर की जाती है। यह सच्चाई के लिए तपस्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है।' जी.एन. धवन के अनुसार–''सत्याग्रह अहिंसक साधनों द्वारा सत्यपूर्ण लक्ष्यों के लिए निरन्तर प्रयत्न है।'' वी.पी. वर्मा के अनुसार–''सत्याग्रह का अर्थ अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध शुद्ध आत्म–शक्ति का प्रयोग है।'' कृष्णलाल श्री धारणी ने इसे 'अहिंसक कार्यवाही' कहा हे। एन. के बोस ने इसे 'अहिंसक तरीकों द्वारा युद्ध का संचालन करने का तरीका' कहा है। साधारण रूप में यह 'सत्य के लिए तपस्या' है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह सब प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध विशुद्ध आत्मबल का प्रयोग है, जिसमें हिंसा का प्रयोग लेशमात्र भी नहीं होता। इससे विरोधी का ह्रदय परिवर्तन इस तरह से किया जाता है कि दूसरा स्वतः ही सत्याग्रह के नियमों में विश्वास करने लगता है। राजनीतिक शब्दावली में इसे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने का शांतिपूर्ण शस्त्र भी कहा जा सकता है।

सत्याग्रह की विशेषताएं(Characteristics of Stayagraha)

गांधी जी ने 'यंग इण्डिया' और 'हरिजन' पत्रिकाओं में सत्याग्रह सम्बन्धी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके आधारों पर सत्याग्रह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:–

सत्याग्रह आत्म–बल का प्रयोग है (Satyagraha is use of Moral-force)

गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह में पाश्विक या शारीरिक बल की बजाय आत्म–बल का ही प्रयोग किया जाता है। यह षारीरिक बल अथवा षस्त्रों की भौतिक षक्ति से सवर्था भिन्न है। यह आत्मा की षक्ति है। सत्याग्रह का संचालन आत्मिक षक्ति के आधार पर किया जाता है। आत्म–शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी व्यक्ति कितना ही अत्याचारी व अन्यायी क्यों न हो, उसे भी आत्मबल से जीता जा सकता है। वह बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्यार से, असत्य को सत्य से तथा हिंसा को अहिंसा से जीतने पर बल देता है। सत्याग्रह आत्म–बल पर आधारित नैतिक शस्त्र होने के नाते अधिक प्रभावशाली होता है। सच्चा सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट देने की बजाय प्यार से उसे अच्छे–बुरे का भेद कराकर उसे न्याय की ओर प्रेरित करता है। इस तरह यह आत्म–बल द्वारा अत्याचारी के ह्रदय परिवर्तन की प्रक्रिया है।

स्वयं कष्ट सहना सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है (Self-suffering is an essential part of Satyagraha)

गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का हृदय जीत सकता है। सत्याग्रह का यह आवश्यक नियम है कि एक सच्चा सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाए, दूसरों को कष्ट न दे। स्वयं कष्ट भोगना तथा अन्याय का विरोध करना ही सत्याग्रह है। ऐसा करते हुए वह बदले की भावना से विरोधियों पर हाथ नहीं उठाता है। षत्रु द्वारा क्रोधावेष में दी गयी आज्ञा, दण्ड या अन्य किसी प्रकार के भय के सामने अपना सिर नहीं झुकायेगा। सत्याग्रह स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। सत्याग्रही परमार्थ हेतु स्वयं कष्ट उठाकर सत्य व न्याय की रक्षा करता है। सच्चा सत्याग्रही वही होता है जो समस्त दुःखों को स्वयं सहे और समस्त सुखों को प्राणीमात्र की भलाई के लिए अर्पित कर दे। सत्याग्रही पर जितने अधिक दुःख आते हैं, वह जितने अधिक दुःख सहता है, उसी से वह पूर्णता की तरफ अग्रसर होता है। जिस तरह सोना आग में तपकर कुन्दन बनता है, उसी तरह अधिक से अधिक कष्टों के माध्यम से गुजरकर सच्चा सत्याग्रही तैयार होता है। यही सत्याग्रह का अटल व शाश्वत् नियम है। दुःखों से ही सुखों का जन्म होता है। कोई भी व्यक्ति या देश दुःखों के बिना सुख नहीं भोग सकता। भारत ने कष्ट सहकर की स्वतन्त्रता का आनन्द उठाया है। आत्मपीड़न ही सत्याग्रह के सिद्धान्त का आधार है। जो कष्ट सहता है या आत्मपीड़न से गुजरता है, वही सुखों को भोगता है। इससे उसकी आत्मा पवित्र होती है। जनता उसके पक्ष में होकर उसी को औचित्यपूर्ण ठहराती है।

सत्याग्रह विरोधी के हृदय को विवेक तथा अपील से बदलता है (Satyagraha Converts one's heart through Reason and Appeal)

सत्याग्रह में विरोधी को अपनी बात मनवाने के लिए किसी भय या दण्ड का प्रयोग वर्जित होता है। वह अपने विरोधियों के विरुद्ध षक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। सत्याग्रह विवेक पर आधारित होता है। सत्याग्रही अन्यायी या अत्याचारी के हृदय को किसी कष्ट या दण्ड का भय दिखाकर नहीं बदलता, बल्कि तर्क–बुद्धि के आधार पर हृदय परिवर्तन के लिए तैयार करता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि विरोधी व्यक्ति स्वयं यह अनुभव करता है कि वह गलत या अनुचित कार्य कर रहा है। वह स्वयं तर्क–बुद्धि के अनुसार अन्याय व अत्याचार का रास्ता छोड़कर न्याय की तरफ अग्रसर होने लगता है।

सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं (No place of Violence in Satyagraha)

गांधी जी का मानना है कि हिंसा को हिंसा से नहीं जीता जा सकता। प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो पाश्विक बल को भी काबु कर सकती है। हिंसा से समाज में अराजकता पैदा होती है। अन्याय और अत्याचार कम होने की बजाय तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए अहिंसा ही एक ऐसा उपाय है जो समाज में व्याप्त हिंसा का नामोनिशान मिटा सकता है। गांधी जी ने कहा है कि, ''अहिंसा मनुष्य के पास परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है।'' अतः सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।

सत्याग्रह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है (Satyagraha is the birth right of every individual)

गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी उत्पत्ति राज्य से न होकर, आत्मा से हुई है। यह अधिकार होने के साथ–साथ एक कर्त्तव्य भी है। यदि कोई भी शासक या सरकार जन–कल्याण की उपेक्षा करने लग जाए या अन्यायी अत्याचारी हो जाए तो उसका विरोध करना प्रजा का परम कर्त्तव्य बन जाता है। लेकिन विरोध हर परिस्थिति में अहिंसात्मक ही होना चाहिए।

सत्याग्रह का सार्वभौमिक प्रयोग (Satyagraha has Universal Application)

गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें सार्वभौमिकता का गुण भी विद्यमान है।

सत्याग्रह में खुला व्यवहार(Open dealing in Satyagraha)–गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह में कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। सत्याग्रही का प्रत्येक कार्य जन समर्थक होना चाहिए। छिपाकर किया गया कार्य अविश्वास को जन्म देता है। इससे सत्याग्रह का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। गांधी जी ने कहा है–''जितने खुले रूप से आप बात करोगे उतने ही आप सत्यपूर्ण होंगे।'' इसमें छल–कपट, धोखा, बेईमानी आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। इसी पर सत्याग्रह की सफलता निर्भर करती है।

अच्छे साध्य और अच्छे साधन(Good ends and good means)–गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त सभी साधन भी साध्य के अनुकूल ही होने चाहिए। यदि सत्याग्रह का लक्ष्य (साध्य) उचित है तो उसे प्राप्त करने में अच्छे साधनों का प्रयोग अपरिहार्य है। अच्छा साध्य अच्छे साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि सत्याग्रह सामाजिक हित के लक्ष्य (साध्य) को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे अच्छे साधनों द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि साध्य ही गलत है तो अच्छे साधन भी असफल सिद्ध होते हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है(Satyagraha is undertaken onlyfor social interest)–गांधी जी के दर्शन में व्यक्तिगत हित की बजाय सामाजिक हित को प्राथमिकता दी गई है। गांधी जी का कहना है कि कोई भी सत्याग्रही आन्दोलन तभी सफल हो सकता है, जब वह सामाजिक हित की दृष्टि से किया जाए। स्वार्थ की भावना से किया गया सत्याग्रह सदैव निष्फल रहता है। जो बात न्याय व सत्य के विपरीत हो उसको सत्याग्रह से जीतना कठिन होता है। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्तिगत हित की बजाय सामाजिक हित के लिए करने का समर्थन किया है।

सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्तर (Difference between Satyagraha and Passive Resistance)

अक्सर 'निष्क्रिय प्रतिरोध' को सत्याग्रह का पर्यायवाची समझ लिया जाता है लेकिन यह सत्य नहीं है।जब गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह आरम्भ किया तो उसे 'निष्क्रिय प्रतिरोध' का नाम दिया गया। लेकिन गांधी जी ने इस भ्रान्ति का जल्दी ही निवारण करके इन दोनों को अलग–अलग बताया। आम आदमी प्रायः इन दोनों को एक ही मान बैठता है। क्योंकि ये दोनों अत्याचार व अन्याय का सामना करने व उन्हें समाप्त करने के साधन हैं। इन दोनों का उद्देश्य भी विद्यमान व्यवस्था में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाना होता है। लेकिन फिर भी दोनों में व्यापक अन्तर है। गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि, ''सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में उतना ही अन्तर है जितना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है और यह स्वार्थ सिद्धि के लिए जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की आकांक्षा रखता है। परन्तु सत्याग्रह बलवानों का अस्त्र है और इसे स्वीकार करने वालों को किसी भी अवस्था में या रूप में बल–प्रयोग की आज्ञा नहीं है।'' निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनैतिक शस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है। यद्यपि दोनों ही पद्धतियाँ अत्याचारों के प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ हैं लेकिन फिर भी इनमें बुनियादी अन्तर है जिसे निम्न रूप से देखा जा सकता है :

- निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल का शस्त्र है जबकि सत्याग्रह वीरों का अस्त्र है। गॉधी जी ने लिखा है कि सत्याग्रह के लिए जिस हिम्मत और मर्दानगी की आवष्यकता होती है, वह तोप और बन्दूक का बल रखने वाले में हो ही नहीं सकती है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु या विरोधी को तंग करने की भावना पर बल दिया जाता है, लेकिन सत्याग्रह में सत्यागही सारे कष्ट स्वयं ही लेता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी का हृदय परिवर्तन करने या अपनी बात को मनवाने के लिए हिंसा या संघर्ष का सहारा लिया जाता है, जबकि सत्याग्रह में प्रेम और धैर्यपूर्वक आत्म–बल के आधार पर विरोधी का हृदय परिवर्तन किया जाता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा व घृणा पर आधारित होता है, जबकि सत्याग्रह प्रेम व अहिंसा पर आधारित होता है।
- सत्याग्रह एक सार्वभौमिक अस्त्र है। इसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध प्रायः शत्रु पक्ष या अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी के विरुद्ध ही किया जाता है।
- सत्याग्रह रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का अपना कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है।
- सत्याग्रह का आधार सत्य और अहिंसा है। इसमें हिंसा को कोई स्थान प्राप्त नही है लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी चरित्रगत दुर्बलता के कारण आवश्यकता होने पर हिंसा का आश्रय लिया जा सकता है।
- सत्याग्रह के लिए दृढ़ आत्मबल की आवश्यकता होती है। गाँधीजी के अनुसार निर्बल आत्म–बल वाले व्यक्ति कभी सत्याग्रही नहीं हो सकते। अतः सत्याग्रह वीरों और साहसी व्यक्तियों का साधन है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल और आत्म–बल की दृष्टि से कच्चे लोगों का साधन है। वे ही इसका प्रयोग करते हैं।
- सत्याग्रह में अपने शत्रु या विरोधी के लिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य तथा उसे चोट या हानि पहुँचाने जैसी कोई बात नहीं होती वरन् सत्याग्रही द्वारा स्वयं कष्ट सहकर उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, ताकि अंततः उसका हृदय परिवर्तित हो सके तथा वह सत्याग्रह के सत्य को सहर्ष स्वीकार कर सके।
- सत्याग्रह के आत्म–शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता और आत्म–बलिदान के भाव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में इन नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध घृणा, द्वेष तथा अविश्वास पर आधारति होने के कारण इसका प्रयोग स्वजनों या निकट सम्बन्धियों के विरूद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात् इसके प्रयोग का कार्य–क्षेत्र सीमित है, जबकि सत्याग्रह प्रेम, सद्भाव और उदारता पर आधारित होने के कारण इसका प्रयोग सार्वजनिक तथा वैयक्तिक दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। फलतः इसका कार्य–क्षेत्र विस्तृत है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- सत्याग्रह में प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति के नहीं होने पर एक सत्याग्रही अपनी शक्ति का प्रयोग समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों, जैसे– मद्य–निषेध, अस्पृश्यता निवारण, महिला शिक्षा, साक्षरता प्रसार आदि में करता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में ऐसी रचनात्मक गतिविधियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

इस तरह कहा जा सकता है कि सत्याग्रह बलवान का शस्त्र है। इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यह सदैव सत्य व अहिंसा पर ही आधारित होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसात्मक कार्यवाहियों पर आधारित होता है। यह कायरों का शस्त्र है। इसमें आत्मबल की बजाय शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रेम जैसी भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। गांधी जी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में व्यापक अन्तर करके दिखाया, उनका हर आन्दोलन और हर कदम पूर्णतया अहिंसात्मक रहा।

सत्याग्रह के विभिन्न साधन (Difference Means of Satyagraha)

गॉधी जी ने सत्याग्रह के दो रुप माने हैं–पहला, व्यक्तिगत और दूसरा, सामूहिक या सार्वजनिक। व्यक्तिगत सत्याग्रह से आषय उसके उस रुप से है जिसके अन्तर्गत एक सत्याग्रही अपने लक्ष्य–प्राप्ति हेतु अकेला ही अहिंसक साधनों को अपनाकर संघर्ष करता है। इसके विपरीत, सामूहिक सत्याग्रह उसके उस रुप को कहते हैं जबकि सार्वजनिक मुददों को लेकर अनेक लोग अहिंसक तरीकों के माध्यम से उनके लिए संघर्ष करते हैं। गाँधीजी ने सत्याग्रह हेतु परिस्थितिनुसार निम्नलिखित विभिन्न साधनों को अपनाये जाने का सुझाव दिया है। ये हैं–बातचीत द्वारा समझौता,असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, अनशन, धरना, हड़ताल और सामाजिक बहिष्कार।

बातचीत द्वारा समझौता (Compromise by Negotiation)-गांधी जी का मानना था कि किसी भी प्रकार की सामाजिक या राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम समझौते का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर किसी मध्यस्थ की मदद भी लेनी चाहिए। विरोधी पक्ष को उसकी गलती का अहसास कराने का प्रयास करना चाहिए। समझौते की शर्तें मानने योग्य होनी चाहिए। विरोधी पर अनुचित दबाव डालकर समझौते का प्रयास नहीं करना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि, ''जिस प्रकार सत्याग्रही संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहता है, उसी प्रकार उसे शान्ति के लिए भी तैयार रहना चाहिए।''

असहयोग (Non-cooperation)–असहयोग सत्याग्रह का एक प्रबल अस्त्र है। इसका अर्थ है–अन्यायी अथवा अत्याचारी को अपनी गलतियों का ज्ञान कराके, उसे सहयोग प्राप्त करने के लिए बाध्य करना। गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं, बल्कि जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। यदि सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त न हो तो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसलिए यदि कोई सरकार या संस्था अन्याय व अत्याचार करती है तो उसकी नीतियों व कानूनों को मानना बन्द कर देना चाहिए। जिस प्रकार प्रजा की सेवा करना सरकार या शासक का धर्म है, उसी प्रकार शासक की आज्ञा का पालन करना जनता का धर्म होता है। सहयोग, त्याग एक न्यायपूर्ण धार्मिक सिद्धान्त है। सरकार के अत्याचारी होने पर उसको असहयोग देना जनता का शाश्वत् धर्म है। इसमें किसी भी रूप में हिंसक उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। असहयोग पूर्णरुप से अहिंसात्मक होना चाहिए, क्योंकि हिंसात्मक असहयोग बुराई को घटाने के बजाय बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, असहयोग व्यक्ति से न किया जाकर उसके अन्यायपूर्ण कार्यों से किया जाता है। असहयोग अधिकतम कष्ट झेलकर भी अपने विपक्षी के अन्यायपूर्ण कार्यों से सहयोग नहीं करता है और उनका अपनी पूर्ण नैतिक एवं मानसिक षक्ति से विरोध करता है। वह अपने विपक्षी को यह अनुभव कराने का सतत् प्रयास करता है कि वह उसका षत्रु न होकर, मित्र एवं हितैषी है। दक्षिण अफ्रका के षासक जनरल स्मट्स के अन्यायपूर्ण कार्यों से असहयोग करते समय उसे यही अनुभव कराने का प्रयास किया था। इसके विषय में स्वयं स्मट्स ने लिखा है कि, 'यह कहना पूर्णतया उचित है कि मैं एक पीढ़ी पहले गॉधी का विरोधी था, पर आज मैं उस वृद्ध योद्धा को प्रणाम कर रहा हूँ।' गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आन्दोलन चलाया तो वकीलों ने अदालतों का, जनता ने विदेशी माल का, विद्यार्थियों ने कक्षाओं का, सार्वजनिक समारोहों का तथा उपाधियों की वापसी जैसे कार्य किए। गांधी जी ने इस कार्यक्रम को पूर्णतया अहिंसा पर आधारित रखा।

असहयोग का उददेष्य न तो विपक्षी से सम्बन्ध विच्छेद करना है और न उसके प्रति षत्रुता एवं वैमनस्य की भावनाएं प्रदर्षित करना है। इसके विपरीत असहयोग का उददेष्य विपक्षी को ऐसी स्थिति में लाना है कि वह स्वयं स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए उद्यत हो जाये। इस दृष्टि से असहयोग का उददेष्य नकारात्मक न होकर सकारात्मक है। अतः इसका प्रयोग वैयक्तिक, पारिवारिक, षैक्षिक, राजनीतिक, सार्वजनिक आदि समस्त क्षेत्रों में किया जा सकता है।

हड़ताल (Strike)–गांधी जी ने हड़ताल को भी सत्याग्रह का आवश्यक व प्रभावशाली शस्त्रा माना है। इसका

अर्थ है किसी कष्ट, अन्याय या षिकायत के विरुद्ध असन्तोष प्रकट करने के लिए काम पर न जाना। इस अस्त्र का प्रयोग श्रमिकों द्वारा पूँजीपतियों के विरुद्ध और कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध किया जा सकता है। इसका उददेष्य श्रमिकों या कर्मचारियों द्वारा जनता एवं सरकार का ध्यान अन्याय अथवा षिकायत के प्रति आकृष्ट करके उसका निवारण करवाना है। लेकिन इस प्रयोग का गाँधी जी बहुत सावधानपूर्वक किये जाने का परामर्श देते हैं। गाँधी जी हड़ताल को सत्याग्रहियों द्वारा आत्म–शुद्धि का एक साधन मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हड़ताल उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए। अनुचित कारणों से की गई हड़ताल न तो कभी सफल होती है और न ही उसे जन समर्थन मिल पाता है। हड़ताल कानूनी दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। हड़ताल से आशय किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए समस्त गतिविधियों को बन्द करना है। ताकि सरकार तथा जनता का ध्यान उस अन्याय की तरफ आकृष्ट हो जिसके कारण हड़ताल की जा रही है। हड़ताल अन्याय के विरुद्ध की जा रही होती है। इसलिए हड़ताल के दौरान कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। हड़ताल करने के लिए किसी पर कोई दबाव या प्रलोभन नहीं देना चाहिए। इस तरह गांधी जी ने हड़ताल को विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक कार्यवाही पर आधारित रखने का विचार दिया है। हड़तालियों द्वारा स्वयं कष्ट सहकर अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है, ताकि वह उनके सत्य से परिचित हो सके और सहर्ष उसे स्वीकार कर सके। गाँधी जी के अनुसार हड़ताल सत्य को सिद्ध करने का एक साधन है, न कि स्वार्थ सिद्धि का साधन। अतः हड़ताल रूपी साधन का प्रयोग करते हुए सत्याग्रहियों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा इसकी सीमा में रहते हुए ही उन्हें उसका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह गॉधी जी ने हड़ताल को विषुद्ध रुप से अहिंसात्मक कार्यवाही पर आधारित रखने का विचार दिया।

उपवास (Fasting)–गांधी जी ने उपवास को भी सत्याग्रह का अत्यन्त षक्तिषाली अस्त्र माना। आरम्भ में गॉधी जी ने इस अस्त्र का प्रयोग अपनी आत्मा की षुद्धि और अपनी गलतियों का प्रायष्चित करने के लिए किया था। उसके पष्चात उन्होंने इसका प्रयोग सार्वजनिक षुद्धि और ब्रिटिष सरकार द्वारा किये जाने वाले अन्यायों एवं अत्याचारों का विरोध करने के लिए किया था। उन्होंने इसके तीन रुपों में अत्यन्त फलदायक पाया। इसीलिए उन्होंने इसको अग्नि बाण एवं अमोघ अस्त्र के नामों से पुकारा था। उनका अटल विष्वास था कि उपवास व्यक्ति एवं जनता की आत्मषक्ति में वृद्धि करने, उसको अपनी पिछली गलतियों के विषय में सावधान करने, अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने और दुराचार के हृदय में सदाचार का संचार करने के लिए उच्चकोटि का साधन है। गॉधीजी ने इस विषय में लिखा कि 'सच्चा उपवास षरीर, मन एवं आत्मा को षुद्ध करता है। यह इन्द्रियों का दमन करता है और आत्मा को मुक्त करता है।

इसमें विरोधी को कष्ट देने की बजाय स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। इस अस्त्र का प्रयोग करने के लिए किसी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जिस व्यक्ति को अपने आत्म–बल पर भरोसा है वही इसका सफल प्रयोग कर सकता है। गांधी जी ने उपवास को व्यापक अर्थ में स्पष्ट करते हुए कहा है कि, ''उपवास आत्मा की शुद्धि के लिए केवल अन्न ग्रहण न करना नहीं है, बल्कि मन के सभी विकारों को मुक्त करना या होना है। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के दौरान चौरा–चौरी घटना से दुःखी होकर असहयोग आन्दोलन को बन्द कराने के लिए पॉच दिन का उपवास रखा था।

सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience)–सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के षस्त्रागार का अन्तिम और सबसे अधिक षक्तिषाली अस्त्र है। यह सषस्त्र विद्रोह का रक्तहीन रुप है। सविनय का अर्थ है–सभ्य या षिष्ट अर्थात अहिंसात्मक और अवज्ञा का अर्थ है–आज्ञा अथवा कानून का उल्लंघन करना, चाहे उसके लिए सयाग्रही को कितना ही कठोर दण्ड क्यों न भोगना पड़े। इस प्रकार सविनय अवज्ञा का उददेष्य–अनैतिक कानूनों को भंग करना और विरोधी के विरुद्ध असैनिक अथवा अहिंसात्मक विद्रोह करना है।

गॉध जी की धारणा थी कि नागरिक का एक मुख्य कर्तव्य–राज्य के कानूनों का पालन करना है। परन्तु साथ ही उनकी यह भी धारणा थी कि यदि कानून अनैतिक हैं, तो उनका पालन करना नागरिक का कर्तव्य नहीं माना जा सकता है। ऐसे कानूनों का उल्लंघन करना, सत्य एवं न्याय की दृष्टि से एक उच्चतर नैतिक कानून है। अपनी इसी धारणा से बल प्राप्त करके गॉधी जी ने 1930 में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए नमक कानून और अन्य कानूनों को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया था।

यह असहयोग की अन्तिम अवस्था है। गांधी जी का कहना है कि विनयपूर्वक सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों को मानने का अर्थ है–स्वयं अन्याय में सांझेदार बनना, यदि कोई सत्याग्रही शासक का आज्ञाकारी रहता है तो उसका असहयोग निरर्थक है। इसलिए एक सभ्य पुरुष को अन्यायी शासन का अपने सम्पूर्ण आत्म–बल से विरोध करना चाहिए। इसका प्रयोग हृदय से आदरपूर्ण और संयत् होना चाहिए। अवज्ञा का कार्य पूर्ण रूप से अहिंसक होना चाहिए। 1930में गांधी जी ने अहिंसक तरीके से नमक कानून भंग किय था। यह गांधी जी का 'सविनय अवज्ञा' का सफल प्रयोग था।

धरना (Picketing)–गांधी जी के अनुसार धरना एक वैध और उपयोगी साधन है। इसका उद्देश्य भी नैतिक है। यह जन–शिक्षा का माध्यम भी है, इसलिए यह मनुष्य के अधिकारों

की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। सत्याग्रही द्वारा यह भूखे रहकर भी असामान्य रूप से या भूखे रहे बिना सामान्य रूप से भी दिया जाता है। यह बुराई या अन्याय के विरुद्ध मित्रता की चेतावनी है। गांधी जी ने कहा है–''अहिंसक धरना देने वाले का यह कर्त्तव्य है कि वह जनमत को जगाए, उपयुक्त वातावरण तैयार करे, सामने वाले को चेतावनी दे और उसे हृदय परिवर्तन द्वारा वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराए।'' गांधी जी ने धरने की निम्नलिखित शर्तें बताई हैं–

1. धरना पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए।
2. इसमें धमकी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।
3. इसमें अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए।
4. इसमें विवेकपूर्ण प्रार्थना और पत्रिकाएं बांटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार गांधी जी ने विशुद्ध अहिंसात्मक उपायों का सहारा लेकर ही धरने पर बैठने व उसे सफल बनाने का सुझाव दिया है। शराब तथा विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के विरूद्ध गाँधीजी ने इसका प्रयोग किया था, ताकि वे इनसे उत्पन्न होने वाले बुरे प्रभावों से अवगत हो सके और उनको बेचने के कार्य को स्वेच्छा से बन्द कर सके।

बहिष्कार (Social Boycott)– बहिष्कार भी सत्याग्रह का एक अन्य साधन है जो असहयोग का ही दूसरा रूप है। यह तीन प्रकार का हो सकता है–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक बहिष्कार का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक दृष्टि से कोई अनुचित कार्य किये जाने पर उसकी जाति के लागों द्वारा उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखना। इसे साधारणतया 'हुक्का पानी बन्द करना' कहा जाता है। गॉधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में आर्थिक एवं राजनीतिक बहिष्कार का विषेष रुप से प्रयोग किया था। क्योंकि इन दोनों प्रकार के बहिष्कारों में अहिंसा का तत्व प्रकट हो सकता था। आर्थिक बहिष्कार के अर्न्तगत विदेषी वस्तुओं के प्रयोग न करने और स्वदेषी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने पर बल दिया था। राजनीतिक बहिष्कार के निम्नलिखित रुप थे–ब्रिटिष सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियों को लौटाना, उसके द्वारा प्रदान किये जाने वाले पदों का परित्याग करना और उसके द्वारा निजी हित के लिए स्थापित की गयी संस्थाओं से सम्बन्ध विच्छेद करना। स्वयं गॉधी जी ने केसर ए हिन्द पदक, बोअर युद्ध पदक और जुलु विद्रोह पदक ब्रिटिष सरकार को लौटाकर, रौलट एक्ट के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त किया था (अवस्थी, 2015: 244)।

हिजरत(Hijrat)–हिजरत को भी सत्याग्रह का एक रुप माना जाता है। इसका अभिप्राय है–स्वेच्छा से स्थायी निवास स्थान को छोड़कर, किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना। यह अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रदर्षित करने का अति प्राचीन साधन है। अर्थ है–देश छोड़कर चले जाना। गांधी जी ने कहा है कि जब शासक या सरकार इतनी अधिक अन्यायी व अत्याचारी हो जाए कि उसके अत्याचारों को सहन करना जनता के वश की बात न रहे, जनता पीडित और अपमानित महसूस करते हैं तथा अपने अस्तित्व और आत्म–सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ और असहाय स्थिति में आ जाते हों तो उनके लिए सत्याग्रह के रूप में यही उचित है कि वे विरोधस्वरूप अपने मूल स्थान का स्वैच्छिक परित्याग कर दें। वहाँ से ऐसे स्थान के लिए पलायन कर जायें जहाँ वे अपने अस्तित्व और आत्म–सम्मान की रक्षा करने में समर्थ हों। जनता को वह राज्य छोड़ कर कहीं और चले जाना चाहिए।

हजरत मुहम्मद पर जब धाम्रिक कट्टरपंथ्यिों ने मक्का में अत्याचार किए तो वे मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में भी काठियावाड़ की रियासत एक ऐसा ही उदाहरण दिया है। जब काठियावाड़ की रियासत पर राजा ने अत्याचार इतने अधिक किए कि उनको सहन करना जनता के वश में नही रहा तो जनता ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया था। राजा ने इससे घबराकर उन पर अत्याचार न करने की प्रतीज्ञा की और प्रजाजन वापिस लौटने लगे। गांधी जी ने कहा है कि इस प्रकार का उपाय अन्तिम साधन के रूप में ही अपनाना चाहिए अर्थात् जब जनता के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो जाए तभी इसका प्रयोग करना चाहिए।

सत्याग्रही के आवश्यक नियम *(Essential rules of Satyagraha)*

गांधी जी ने सत्याग्रह के कुछ नियम भी बताएं हैं। ये नियम अपनाने वाले व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही होता है। ये नियम निम्नलिखित हैं–

- सत्याग्रही के मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए।
- सत्याग्रही को क्रोध नहीं करना चाहिए।
- सत्याग्रही को सभी प्रकार के कष्ट और अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- सत्याग्रही के मन में विरोधी के प्रति कोई घृणा या हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए।
- सत्याग्रही को पवित्र जीवन बिताना चाहिए।
- सत्याग्रही को शान्तिपूर्वक व अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करना चाहिए।
- सत्याग्रही को आत्म–बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए।
- सत्याग्रही को सत्य व न्याय की पहचान होनी चाहिए।
- सत्याग्रही का बल कष्ट सहन करने में है।
- सत्याग्रह का आधार केवल त्याग और तपस्या है।
- सत्याग्रह को विनयी व दयावान होना चाहिए।
- सत्याग्रह को किसी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए अर्थात् वह निर्भयी होना चाहिए।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- सत्याग्रही को धर्म का ज्ञान होना चाहिए।
- सत्याग्रही की आत्मा पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि सत्याग्रह का मूलमन्त्र अन्तर्त्मा की पवित्रता है।
- सत्याग्रह के लिए मृत्यु, मोक्ष और जेल स्वतन्त्रता का द्वार है।
- सत्याग्रही को किसी भी प्रकार के अन्याय व अत्याचार के आगे नहीं झुकना चाहिए।
- सत्याग्रह में पराजय के लिए कोई स्थान नहीं है।
- सत्याग्रही सत्ता का इच्छुक नहीं होता।
- सत्याग्रही संख्या पर नहीं, आत्मा में विश्वास करने वाला होना चाहिए।
- सत्याग्रही में अहंकार की भावना नहीं होनी चहिए।
- सत्यागही को समझौतावादी होना चाहिए।
- सत्याग्रही को ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए।
- सत्याग्रह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
- सत्याग्रही में आत्म–अवलोकन का गुण होना चाहिए।
- सत्याग्रही को अनुशासनप्रिय होना चाहिए।

इस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह की सफलता के लिए जो नियम बताए हैं, उन पर चलकर ही कोई भी व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रह का रास्ता बड़े सोच विचार के बाद ही अपनाना चाहिए। इस रास्ते पर आ जाने पर बिना उद्देश्य प्राप्त किए वापस लौटना सत्याग्रही के आचरण के विरुद्ध होता है। इसलिए सत्याग्रही को चाहे कितने ही कष्ट उठाने पड़े, सत्याग्रह से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।

सन्दर्भ

1. अवस्थी, ए.पी., 2015, *भारतीय राजनीतिक विचारक,* लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. चक्रवर्ती, विद्युत तथा पाण्डेय, राजेन्द्र कुमार, 2012, *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतनः विचार व सन्दर्भ,* रावत पब्लिकेषन, जयपुर।
3. चौधरी, बासुकी नाथ और कुमार युवराज (सम्पा.), 2011, *भारतीय षासन और राजनीति,* ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली।
4. गाबा, ओम् प्रकाष, 2015, *भारतीय राजनीतिक विचारक,* मयूर पेपर बैक्स, नोएडा।
5. गॉधी एम.के., 1957, *सत्य के साथ मेरे प्रयोग,* नवजीवन पब्लिषिंग हाउस, अहमदाबाद।
6. ग्रोवर, बी.एल., मेहता, अलका एवं यषपाल, 2014, *आधुनिक भारत का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन,* एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि., नई दिल्ली.
7. पाठक, रष्मि, 2004, *भारतीय राजनीतिक विचारक,* अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, नई दिल्ली।
8. षर्मा, गोविन्द प्रसाद, 2009, *प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएँ,* मध्य प्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
9. त्रिवेदी, काषीनाथ, 1999, *गॉधी जीः संक्षिप्त आत्म कथा,* नवजीवन प्रकाषन मन्दिर, अहमदाबाद।
10. त्यागी, रुचि (सम्पा.), 2010, *भारतीय राजनीतिक चिंतन,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय।
11. वर्मा, वी.पी., 2014, *आधुनिक भारतीय राजनीतिक राजनीतिक चिंतन,* लक्ष्मी नारायन अग्रवाल, आगरा।
12. Gandhi in *Young India,* July 2, 1931: 162.
13. Hardiman, Devid, 2003, *Gandhi in his Times and Ours,* Orient Blackswan.
14. Parekh, C. Bhikhu, 1999, *Colonialism, Tradition and Reform: An Analysis of Gandhi's Political Discourse,* Sage Publications.

RRIJM 2015, All Rights Reserved